

1017

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(3)न्याय/2012


जयपुर, दिनांक

17 NOV 2015

—:अधिसूचना :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 द्वारा सृजित विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण) न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर का क्षेत्राधिकार क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर संभाग के स्थान पर क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से



(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक/सामान्य/ii/11/2012/1539

दिनांक 19/11/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1.समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
- 2.रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
- 3.समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी भिजवाई जावें, एवं संभाग मुख्यालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तदनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करें।
- 4.संबंधित न्यायालय।
- 5.प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक/ कम्प्युटर सेल (समस्त जिला न्यायालय को ई-मले करन हेतु), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

12/19.11.15

रजिस्ट्रार(नियम)